GSM

M/S. Gupta Stone Mines

DOLOMITE & LIME STONE MINES OWNER

क्रमांक 01/GSM/Forest Land/2021-22 दिनांक 13.09.2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.),
अरण्य भवन, सेक्टर–19,
अटल नगर,
नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :– जांजगीर–चांपा जिले के जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत ग्राम–लोहराकोट, तहसील–जैजैपुर के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 44 के 1.18 हेक्टयर वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन बाबत् ।

———0———

विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स के द्वारा खनिज परिवहन के लिए जांजगीर– चांपा जिले के जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत ग्राम–लोहराकोट, तहसील– जैजैपुर में पहुंच मार्ग (Approach Road) निर्माण हेतु आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 44 के 1.18 हेक्टयर वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत प्रस्ताव पंजीयन बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके परीक्षण उपरान्त आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 04.09.2021 को कमियों का विवरण देते हुए उनके सुधार हेतु EDS किया गया था।

आपके कार्यालय द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन में पाई गई कमियों का बिन्दुवार निराकरण विवरण निम्नानुसार है :–

1. इस संस्था द्वारा पूर्व में प्रस्तुत एवं स्वीकृत परियोजना का विवरण निरंक है।
2. वनक्षेत्र का चयन संबंधी परियोजना प्रतिवेदन मय प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है।
3. तीनों विकल्पों को नक्शें में अलग–अलग रंगों से दर्शाया गया है। खनन क्षेत्र के तीनों ओर ग्राम लोहराकोट की व्यक्तिगत कृषि भूमि है तथा ग्राम की सड़के भारी वाहन चालन के लिए प्रतिबंधित एवं सकरी होने की वज़ह से अनुपयोगी है, चयनित विकल्प में पूर्व से ही वन आच्छादित नहीं है तथा इस मार्ग के निर्माण में कोई वनस्पति प्रभावित नहीं होगी, शेष विकल्पों में वृक्षों तथा अन्य वनस्पति को नष्ट करना पड़ेगा, इसलिए चयनित विकल्प ही एक मात्र विकल्प है।

Mines : Vill. - Kharkena, Tahsil - Thakatpur, Distt. - Bilaspur
Head Office : Near Agrasen Chowk, Main Road, Bilha, Distt. - Bilaspur (C.G.) - 495 224, Phone : 07752 - 407597, 99930 - 95478, 93021 - 67452
Branch Office : Bilaspur - 495 001 (C.G.) Phone : 07752 - 407597, 405630
Fax : 07752 - 221839, 405630, e-mail : guptastonebilha@reddifmail.com

4. क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु योग्य क्षेत्र का चयन कर प्रस्ताव में समायोजित किया जावेगा। इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।

अतिरिक्त जानकारी :—

1. वनमंडलाधिकारी, जांजगीर—चांपा द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड कर दिया गया है।
2. राजस्व वनक्षेत्र संबंधी प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है।
3. अपलोड किये गये समस्त संलग्नकों जैसे नक्शे, पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में प्राधिकृत किये गये अधिकारी के नाम, पदनाम, सील सहित हस्ताक्षर कर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त बिन्दुवार कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव पंजीयन हेतु आवेदन पुनः प्रस्तुत है, कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगें।

(अशोक जगवानी)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
गुप्ता स्टोन माईन्स,
बिलासपुर (छ.ग.)

Mines : Vill. - Kharkena, Tahsil - Thakatpur, Distt. - Bilaspur
Head Office : Near Agrasen Chowk, Main Road, Bilha, Distt. - Bilaspur (C.G.) - 495 224,
Phone : 07752 - 407597, 99930 - 95478, 93021 - 67452
Branch Office : Bilaspur - 495 001 (C.G.) Phone : 07752 - 407597, 405630
Fax : 07752 - 221839, 405630, e-mail : guptastonebilha@reddifmail.com

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि **मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स, बिलासपुर** द्वारा वनभूमि व्यपवर्तन हेतु पूर्व में प्रस्तुत एवं स्वीकृत परियोजना का विवरण निरंक है।

(अशोक जगवानी)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
गुप्ता स्टोन माईन्स,
बिलासपुर (छ.ग.)

<u>न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि **"मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स, बिलासपुर"** द्वारा स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र से डोलोमाईट का उत्खनन पश्चात् परिवहन किया जाना है, पट्टा क्षेत्र से होकर कोई सड़क नहीं गुजरती। खनिज परिवहन के लिए मार्ग निर्माण आवश्यक है, जिसके लिए आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 44 के 1.18 हेक्टेयर वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 1.18 हेक्टेयर वनभूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(अशोक जगवानी)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
गुप्ता स्टोन माईन्स,
बिलासपुर (छ.ग.)

<u>राजस्व वनक्षेत्र उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि **''मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स, बिलासपुर''** द्वारा स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र से डोलोमाईट का उत्खनन पश्चात् परिवहन किया जाना है, पट्टा क्षेत्र से होकर कोई सड़क नहीं गुजरती। खनिज परिवहन के लिए मार्ग निर्माण आवश्यक है, जिसके लिए आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 44 के 1.18 हेक्टेयर वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 1.18 हेक्टेयर वनभूमि के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की राजस्व वनभूमि तथा गैर वनभूमि का उपयोग इस परियोजना अंतर्गत नहीं किया जा रहा है।

(अशोक जगवानी)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
गुप्ता स्टोन माईन्स,
बिलासपुर (छ.ग.)

<u>वैकल्पिक वृक्षारोपण संबंधी प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि **''मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स, बिलासपुर''** द्वारा स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र से डोलोमाईट का उत्खनन पश्चात् परिवहन किया जाना है, पट्टा क्षेत्र से होकर कोई सड़क नहीं गुजरती। खनिज परिवहन के लिए मार्ग निर्माण आवश्यक है, जिसके लिए आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 44 के 1.18 हेक्टेयर वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 1.18 हेक्टेयर वनभूमि के लिए क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु योग्य क्षेत्र का चयन कर प्रस्ताव में संलग्न किये जाने हेतु संस्थान वचनबद्ध है।

(अशोक जगवानी)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
गुप्ता स्टोन माईन्स,
बिलासपुर (छ.ग.)